न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 71/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
बीरमाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी धवा तहसील मुण्डवा		तहसीलदार, मुण्डवा।

उपस्थिति :–

1. श्री धरमाराम खुडखुडिया अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:24.07.2018

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 65/2017 सरकार बनाम बीरमाराम में निर्णय दिनांक 06.07.17 के तहत मौजा धवा के खसरा नं. 8 रकबा 0.02 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.09.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 08.09.17 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को मौजा धवा के खसरा नं. 8 के रकबा 2 बिस्वा पर अतिक्रमण करना बताकर पटवारी हल्का असावरी ने तहसीलदार मुण्डवा के समक्ष रिपोर्ट पेश की जिस पर अपीलांट ने विस्तृत तथ्य दर्ज करते हुए जवाब पेश कर कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया। अपीलांट दिनांक 6.7.17 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने पर उसे निर्णय करने की कोई जानकारी नही देकर खाली आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये व कहा कि आगामी पेशी की सूचना कर दी जायेगी, जिससे अपीलांट आश्वस्त हो गया व तहसील से पेशी की सूचना का इंतजार करता रहा। मगर उसी दिन बाद में निर्णय पारित कर दिया और इस निर्णय की अपीलांट को दिनांक 04.09.17 तक कोई जानकारी नही रही, हाल ही में पटवारी हल्का मौके पर अपीलांट को उसकी खातेदारी की भूमि से बेदखल करने का कहा व अपीलांट के विरूद्व तहसील से दिनांक 06.07.17 को निर्णय हो जाने के बारे में बताया जिस पर तुरंत अपीलांट दिनांक 04.09.17 को तहसील कार्यालय में जाकर नकल का आवेदन पेश किया। जिसे दिनांक 04.09.17 को सायं को निर्णय व पत्रावली प्रतियां प्राप्त होने पर अधिवक्ता को बताकर व राय मशविरा करके अपील तैयार करवायी व बिना किसी देरी के अपील पेश की गई। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–तहसीलदार मुण्डवा का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व पत्रावली एवं जवाब का सही ढंग से अवलोकन, विवेचन किये बिना अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

2}(II)–वास्तविक स्थिति जरिये जवाब व संशोधित जवाब पेश करते हुए स्पष्ट की गई है कि हाल खसरा नं. 10 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा सरहद मौजा धवा अपीलांट बीरमाराम के अलावा टीकाराम, किशनाराम पुत्रगण जसाराम, भंवरलाल, सियाराम, सुरजाराम, माधाराम पुत्रगण गंगाराम, मंगाराम, हरदेवराम, नेनाराम, सुखाराम व अपीलांट बीरमाराम पुत्र तेजाराम व रामनिवास, हीरालाल, साबुडी, पुटकी पिसरान झींपरराम इत्यादि के खातेदारी में दर्ज है तथा पटवारी हल्का ने खसरा न. 24, 8 व 5 पर नाजायज कब्जा मिथ्या रूप से अकेले अपीलांट का होने का तथ्य गलत दर्ज किया है व इस संबंध में तहसील कार्यालय में

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

जवाब के जरिये आपत्ति पेश करने के बावजूद उक्त सहखातेदारों व काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना सरसरी तौर पर आधे अधूरे पक्षकार होते हुए भी निर्णय जैर अपील पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी त्रुटि की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक खातेदारों व काश्तकारों के नाम व उनका विवरण दर्ज कर जवाब मय आपत्ति पेश कर दी थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त सभी सहकाश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिवत मेरिट पर निर्णय किया जाना चाहिये था, ऐसी स्थिति में मामला रिमाण्ड किये जाने योग्य भी है।

{2}(III)–अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में लिखित रूप से यह स्पष्ट करते हुए निवेदन कर दिया कि कथित नोटिस धारा 91 भू राजस्व अधिनियम खसरा नं. 10 के सभी रेकर्ड में दर्ज खातेदारों के नाम दुरूस्त कर सभी को दिया जाना उचित है। इस प्रकरण में बताया कब्जा गत कई दशकों से खसरान के शामिल एक ही खेत के रूप में पीढियों से रहता आया है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक स्थिति को नजर अंदाज करते हुए निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो विधि सम्मत निर्णय की तारीफ में नही आता है।

{2}(IV)–हाल खसरा नं. 10 साबिका सेटलमेंट के समय 25 बीघा 1 बिस्वा से भी अधिक रहता आया है। गत सेटलमेंट कर्मचारियों व अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय के खातेदारी का रकबा कम कर दिया, इसी कारण पटवारी हल्का ने मौके पर खसरा नं. 10 का मौके पर नाप किये बिना ही एक साल पहले रिपोर्ट कर बेदखली के आदेश मु.नं. 9/16 में बिना जवाबदेही का अवसर दिये करवाया था। इस वर्ष भी पटवारी ने खसरा नं. 8 पर बिना भू माप किये अंदाजे से 0.2 बीघा भूमि पर अतिक्रमण होना अन्दाजें से रिपोर्ट में दर्ज कर तहसील कार्यालय में पेश की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किया जाना चाहिये था या निष्पक्ष पटवारियों की टीम से मौके की स्थिति मंगवाई जानी चाहिये थी। जिससे कि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती व अपीलांट का कोई अतिक्रमण किसी भी सरकारी भूमि पर नही होना रिपोर्ट में आता मगर ऐसा नही कर पटवारी हल्का की झूठी व मौके की स्थिति के विपरीत तैयार की गई रिपोर्ट को आधार बनाकर निर्णय जैर अपील पारित करने में विधिक त्रुटि की है। भू प्रबन्ध अधिकारियों को किसी खसरे अथवा खसरे का क्षेत्रफल बदलने का कोई अधिकार नही है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1969 पेज 231 से 234 नजीर पेश की है।

{2}(V)–अपीलांट ने जवाब पेश कर अधीनस्थ न्यायालय में निवेदन कर दिया कि उक्त खसरा नं. 5, 24 की भूमि काबिल काश्त है। उक्त खसरान सहित खसरा नं. 10 गैर सायल के कदीमी पीढियों पुरानी कब्जासुद स्वामित्व की आराजी रहती चली आयी है। जिनमें से खसरा नं. 5 का रकबा 3 बीघा व खसरा नं. 24 का रकबा 10 बीघा पर पहले गैर सायलान के पूर्वजों का व तत्पश्चात गैर सायल का लगातार कब्जा काश्त रहता चला आया है तथा उक्त भूमि में मेहनत मजदूरी करके व काफी बडी राशि खर्च करके भूमि को उपजाउ बनाया गया है तथा पुराने कब्जो को सरकार परिपत्रों के अनुसार गावों में नियमन किये गये है तथा अपीलांट भी नियमन का पात्र होते हुए भी उसकी उक्त कब्जासुद भूमि का नियमन नही कर उल्टा सेटलमेंट के समय रकबा कम कर दिया व तत्पश्चात अतिक्रमण के नोटिस जारी किये जाते रहे है अपीलांट बार बार नियमन हेतु निवेदन करता रहा तो उसे तहसीलदार व स्थानीय प्रशासन द्वारा नियमन करने का आश्वासन दिया जाता रहा है मगर आज दिन तक नियमन नही किया है। मौके पर रहवासी छान, पशुओं का बाडा आदि कदीमी समय से बने हुए है। इस प्रकार अपीलांट के विरूद्व नोटिस हाजा की कार्यवाही ड्रोप कर उक्त आराजी पर पुराने समय से जितने भू भाग पर कब्जा काश्त है। उसको अपीलांट के नाम नियमन की सिफारिश की जाना न्याय संगत था व है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किये व उसे नजरअंदाज करते हुए निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो हस्तक्षेप योग्य है। क्योंकि उक्त आराजी पर अपीलांट व उसके पूर्वजों का कब्जा होने के तथ्य को साबित करने हेतु पुराने राजस्व रेकर्ड, खतौनी, गिरदावरी व नये पुराने नक्शो की फोटो प्रतियां भी पत्रावली में जवाब के जरिये अपीलांट ने पेश की थी। मगर स्थानीय पटवारी हल्का वगेरा राजनेतिक पार्टीबाजी से नया कब्जा बताकर गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नोटिस जारी करवा कर जवाबदेही के बावजूद उक्त निर्णय जैर अपील पारित करवाया है। जो निरस्तनीय है।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा ग्राम धवा में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के

अपर कलक्टर, नागौर

खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके धवा के खसरा नंबर 8 रकबा 0.02 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर, राजस्थान